250

संख्याः 325 /XXVI/तीन(6)/2012 T.C.-1

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2015

विषयः– राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 1925.12 हजार (उन्नीस लाख पच्चीस हजार एक सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 321, दिनांक 03.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उपाध्यक्ष जी, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कियान्वयन समिति द्वारा प्रस्तुत बीजकों का बजट की उपलब्ध सीमा तक भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उपाध्यक्ष जी के बीजकों के भुगतान हेतु कोई बजट व्यवस्था न होने तथा उक्त व्यय आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के कारण ₹1925.12 हजार (₹ उन्नीस लाख पच्चीस हजार एक सौ बीस मात्र) की धनराशि को ''राज्य आकस्मिकता निधि'' से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

2.1– उक्त धनराशि की स्वीकृति अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में मात्र एक बार हेतु प्रदान की जा रही है।

2.2– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों तथा सुसंगत नियमावली के तहत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरांत किया जायेगा, जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2.3– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को ऐसी किसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है।

2.4– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों तथा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

3– इस संबंध में होने वाले व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा 201–समेकित निधि का विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान सं0–07 के लेखाशीर्षक 3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान की आयोजनेत्तर पक्ष की मानक मद सं0–16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–91NP/XXVII(5)/2015, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

रा0अ0निधि संख्याः 74/XXVII(1)/रा0अ0निधि/15 दिनांकः 07 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव।

पृ0संख्याः325/XXVI/तीन(6)/2012 T.C.-1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नियोजन विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।